"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 18, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा.-474/पंग्राविवि/22/2013/764 :— छत्तीसगढ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 73 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 18 में, शब्द तथा अंक "रु. 2500/-" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 10000/-" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 39 में, शब्द तथा अंक "रु. 1500/-" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 5000/-" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक/पंचा-474/पंग्राविवि/22/2013/765.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक पंचा-474/पंग्राविवि/22/2013/764, दिनांक 25-09-2013 से संबंधित अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 25th September 2013

NOTIFICATION

No./P.-474/PGVV/22/2013/764. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (3) of Section 73 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Accounts) Rules, 1999, the same having been previously published as required by the sub-section (3) of Section the 95 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 18, for the word and figure "Rs. 2500/-" the word and figure "Rupees 10000/-" shall be substituted.

2. In rule 39, for the word and figure "Rs. 1500/-" wherever they occurs the word and figure "Rupees 5000/-" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDAN, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.